न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **65/2018** दायर दिनाँक **13.03.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हनीफ खाँ दत्तक पुत्र फुले खाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–दाउदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. इसलाम बानो पत्नी मनवरखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हाकम अली खाँ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री विरेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.03.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 524/262 रकबा 05.10 वाकै शरहद बेरी कला में स्थित है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा 10/110 वादी के व हिस्सा 100/110 प्रतिवादी संख्या 01 का है जो कि संयुक्त खातेदारी में है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ने वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा कर, नजरीनक्शा में मार्क ए बी ई सी जी एफ एच भूमि वादी के कब्जाकाश्त की भूमि है जिसमें से वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि में से मार्क ए बी एफ एच रकबा 05 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए है। मार्क जी एफ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Web Copy - Not ...

Scanned by CamScanner

एच डी प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जाकाश्त की है। प्रतिवादी संख्या 01 अपने हिस्से पर काबिज है। नजरीनक्शा वाद का अभिन्न हिस्सा है।

वाद के साथ पेश संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 01 मौखिक बंटवारे के अनुसार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है। हाल ही में वादी ने जब अपने हक हिस्से की 05 बिस्वा भूमि का रूपान्तरण करवाना चाहा तो संयुक्त खातेदारी की वजह से राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया। अतः वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। वादी अपने दावें के जरिये राज्य सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाहता है।

प्रार्थना वादी है कि ग्राम बेरी कंला के खसरा सं0 524/262 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ई एफ जी सी 05 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी ई एफ एच 05 बिस्वा भूमि को रास्ते की भूमि घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें तथा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क एफ जी डी एच 05 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02, 03 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादी सं0 01 द्वारा राजीनामा पेश कर दिया गया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री हाकम अली खां ने की तथा प्रतिवादी की पहचान वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान् दावा अनुसार डिक्री चाहते हैं।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 65/2018
दायर दिनाँक 1.03.2018, निर्णय दिनाँक 23.03.2018
हनीफ खाँ बनाम् इसलाम बानो, वगैरा।

राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक दावा डिक्री जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद बेरी कंला के खसरा सं0 524/262 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए बी ई एफ एच 05 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए तथा मार्क ई एफ जी सी 05 बिस्वा भूमि वादी हनीफ खां के तथा मार्क एच, एफ जी, आई, जे, डी 05 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 01 इस्लाम बानों के हक हिस्से व कब्जे काश्त की घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **65/2018** दायर दिनाँक **13.03.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हनीफ खां दत्तक पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी दाउदसर तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीमती इस्लाम बानों पत्नी मनवर खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. शांखा प्रबन्धक यूको बैंक बेरी खुर्द तहसील डीडवाना 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा—88, 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **23.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हाकम अली खां, वकील, वादी व श्री विरेन्द्र सिंह, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद बेरी कंला के खसरा सं0 524/262 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए बी ई एफ एच 05 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए तथा मार्क ई एफ जी सी 05 बिस्वा भूमि वादी हनीफ खां के तथा मार्क एच, एफ जी, आई, जे, डी 05 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 01 इस्लाम बानों के हक हिस्से व कब्जे काश्त की घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.03.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner